संख्या: 55/2015/446/15-24/8/2015-सी0एक्स0-4

प्रेषक,

हरी राम
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
वाराणसी ।

गृह (गोपन) अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2015

विषय:- मा0 उप राष्ट्रपति, भारत के दिनांक 29/11/2014 को वाराणसी आगमन पर उनके स्पेशल एयरक्राफ्ट में "स्नैक्स ऑन बोर्ड" की व्यवस्था पर हुये व्यय धनराशि रू0 1,86,445 /- के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 713/प्रोटोकाल/2014 दिनांक 23/2/2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उप राष्ट्रपति, भारत के दिनांक 29/11/2014 को वाराणसी भ्रमण के दौरान मा0 उप राष्ट्रपति, के स्पेशल एयरक्राफ्ट में "स्नैक्स ऑन बोर्ड" की व्यवस्था से संबंधित दी गेटवे होटल गैंगेज, वाराणसी के देयकों की कुल धनराशि रू0 1,86,445 /- (रूपये एक लाख छियासी हजार चार सौ पैंतालिस मात्र) आवंटित करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस बात का ध्यान रखा जाए कि उक्त मद में किसी भी देयक का भुगतान दुबारा न होने पाये।

3- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण एवं भुगतान संबंधी विवरण ट्रेजरी वाउचर संख्या एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए प्रोटोकाल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल अवश्य उपब्ध करा दिये जायें।

4- आपके संदर्भित पत्र दिनांक 23-2-2015 के साथ प्राप्त संबंधी बिल/वाउचर्स संलग्न कर वापस किये जा रहे हैं।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा "2053- जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि" के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक : यथोक्त (बिल मूल रूप में)।

भवदीय,

(हरी राम)
अनु सचिव ।

संख्या: 55/2015/446(1)/15-24/8/2015-सी0एक्स0-4, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । -2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- कोषाधिकारी, वाराणसी ।
3- प्रोटोकाल अनुभाग।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
5- गेटवे होटल गैंगेज, नदेसर पैलेस कम्पाउण्ड, वाराणसी-221002 ।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।